आदेश

17.9.18

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी भीखराम पुत्र सोनाराम वगैराह जाति ब्राह्मण निवासी सरणू पनजी तहसील व जिला बाडमेर ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के तहत एक राजस्व वाद विरूद्ध अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग बाडमेर एवं श्रीमान जिला कलक्टर बाडमेर एवं तहसीलदार बाडमेर पेश किया तथा साथ में अधिनियम की धारा 212 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम सरणू पनजी का खसरा नम्बर 329/185 रकबा 24.00 बीघा भूमि में किसी प्रकार का अवैध कब्जा नही करने तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग की और से प्रस्तावित सड़क का निर्माण रोके जाने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिया गया। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 सार्वजनिक निर्माण विभाग बाडमेर की और से राजस्व वाद एवं राजस्व आवेदन पत्र का जवाब प्रस्तुत करते हुए अंकित किया है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 2013–2014 में मनरेगा योजना के तहत ग्राम पंचायत सरणू की अनुशंसा के आधार पर बनाई गई। ग्रेवल सड़क पर डामरीकरण का निर्माण करवाया गया है। उनके द्वारा कोई नया निर्माण अथवा सड़क कार्य नही करवाया गया है। प्रस्तावित सड़क से लगभग 300 से अधिक आबादी लाभांवित हुई है, जिसमे अधिकतम आबादी अनुसूचित जनजाति वर्ग की है। उक्त सड़क निर्माण राजकीय हित में करवाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के पक्ष में किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी किये जाने का कोई आधार प्रकट नही होता है और वाद

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

Scanned by CamScanner

तथा आवेदन को निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण में उभय पक्ष को सुना गया तथा न्यायालय स्तर से विवादित भूमि एवं सड़क का भी मौका मुआयना किया गया। ग्राम सरणू पनजी में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 329/185 में मौके पर ग्रेवल सड़क बनी हुई है तथा वर्तमान में उक्त ग्रेवल सड़क पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा डामरीकरण का कार्य प्रारम्भ किया गया है। ग्रेवल सड़क के दोनों तरफ कृषकों द्वारा बाड़े बनाई गई है और बीच में से ग्रेवल सड़क मौके पर पाई गई। उक्त ग्रेवल सड़क का निर्माण वर्ष 2013–2014 में मनरेगा योजना के तहत करवाया गया था, जो सार्वजनिक निर्माण विभाग बाडमेर द्वारा प्रस्तुत जवाब में अंकित किया गया है। उक्त सड़क पर प्रार्थी भीखाराम स्वयं मेट के पद पर तैनात था और ग्रेवल सड़क का निर्माण उसकी देखरेख में करवाया गया था। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट होता है कि उक्त सड़क का निर्माण पूर्व में प्रार्थी की देखरेख में करवाया गया था और प्रार्थी को उक्त सड़क का पूर्ण ज्ञान था। उक्त निर्मित ग्रेवल सड़क पर डामरीकरण के कार्य को रोका जाना जनहित में नही है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन निराधार एवं सारहीन होने से खारिज किया जाता है। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

Scanned by CamScanner